कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35-A अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

क्रमांक/2493/तकनीकी/2020 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- खनिज पट्टों के अंतरण के पंजीयन के संबंध में।

संज्ञान में आया है कि जिलों में खनिज पट्टों के अंतरण अथवा पट्टाधारी के नामों में परिवर्तन बिना विधिक दस्तावेजों के पूर्ण कर लिया जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पट्टों का अंतरण अथवा पट्टाधारी के नाम में परिवर्तन एक विधिक कार्यवाही है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत दस्तावेज तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के संगत अनुच्छेदों के अधीन विहित स्टाम्प शुल्क चुकाया जाना अपेक्षित है। अत: ऐसे दस्तावेजों का नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।

पट्टाधारी की मृत्यु के पश्चात उनके समस्त उत्तराधिकारियों को नियमानुसार उपभोग का अधिकार प्राप्त होता है। अतएव समस्त उत्तराधिकारियों में से केवल कुछ उत्तराधिकारियों के पक्ष में नाम परिवर्तन किए जाने की स्थिति में शेष उत्तराधिकारियों की ओर से विधिवत हकत्याग के विलेख का निष्पादन व उसका पंजीयन होना चाहिए।

अतएव खनिज पट्टे के अंतरण की प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाए कि पट्टेधारी के नाम में परिवर्तन विहित स्टाम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करते हुए विधिवत पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही हो। साथ ही विगत वर्षों के ऐसे प्रकरणों की वर्षवार सूची, जिनमें खनिज पट्टे के अंतरण/नाम परिवर्तन की कार्यावही की गई है, संगत अभिलेखों, जिनके आधार पर अंतरण/नाम परिवर्तन किया गया है, की प्रति सहित जिला पंजीयक को उपलब्ध कराई जाए ताकि ऐसे प्रकरणों के परीक्षण उपरांत अपर्याप्त मुद्रांकित पाए गए दस्तावेजों में नियमानुसार कमी शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ खनिज अधिकारियों को यथायोग्य निर्देश जारी करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश 21/12

निरंतर पृष्ठ 2

पृष्ठांकन क्रमांक/2494/तकनीकी/2020 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि:-

1. समस्त खनिज अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जिला पंजीयक को वांछित सूचियां/अभिलेख उपलब्ध कराएं।
2. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि खनिज अधिकारियों से संपर्क कर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधिनियमों के प्रावधानों का पालन कर सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

वरिष्ठ जिला पंजीयक,
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश

D:\Doli 2016\2020\Technical\Circular.Docx